

| <p>आदेश का क्रम संख्या और तारीख</p> | <p>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</p>   | <p>आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।</p> |
|-------------------------------------|---|--|
| <p>17/01/2022</p>                   | <p align="center"><b>न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची</b></p> <p align="center"><b>एस० ए० आर० पुनरीक्षण 79/2016</b></p> <p align="center"><b>दिपेश कुमार मोदक व अन्य बनाम् राज्य एवं बाया उराँव</b></p> <p align="center"><b><u>आदेश</u></b></p> <p>प्रस्तुत पुनरीक्षण उपायुक्त, राँची द्वारा एस० ए० आर० अपील-155 R15/2014-15 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची के न्यायालय से एस० ए० आर० वाद-508/2012-13 में पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है। विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा खाता नम्बर-132, प्लॉट नम्बर-1588, रकबा-18 डिसमिल, ग्राम-लालगंज में अवस्थित भूमि के मुआवजा भुगतान के आधार पर विनियमन करने का आदेश पारित किया गया था।</p> <p>प्रश्नगत वाद में आवेदक द्वारा नियमित रूप से हाजिरी नहीं दी गयी। वाद दायर करने के पश्चात् सुनवाई हेतु आवेदक किसी भी तिथि में न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। आवेदक को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक-06.01.2022 तथा 13.01.2022 को अंतिम मौका दिया गया था किन्तु वे अनुपस्थित रहे। अंततः उपलब्ध कागजातों के आधार पर वाद के निष्पादन का निर्णय लिया गया।</p> <p>आवेदक के कथनानुसार प्रश्नगत भूमि उनके द्वारा खतियानी रैयत से 1946-47 में यह भूमि प्राप्त की गयी एवं उसी समय से वे प्रश्नगत भूमि पर मकान निर्माण कर दखलकार है। उसी समय से वे उक्त स्थान पर आवासित है। उपायुक्त न्यायालय द्वारा बिना उचित सुनवाई के विशेष पदाधिकारी के न्यायिक कार्रवाई को मिली भगत एवं धोखाधड़ी की कार्रवाई घोषित किया गया है, जो कदापि उचित नहीं है। आवेदकों के द्वारा मुआवजा की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। अतः अपीलीय न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाये।</p> <p>आवेदक के कथन से ही यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा आदिवासी रैयती भूमि बिना किसी सक्षम प्राधिकार अनुमति प्राप्त किये बगैर क्रय/दखल किया गया है। आवेदकों के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर पूर्व से निर्माण होने के दावे किये</p> |  |

*(Handwritten Signature)*

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर  | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|------------------------------|---|---|
|                              | <p>गये हैं। अपीलीय न्यायालय द्वारा तकनीकी पदाधिकारियों के जाँचदल से इन निर्माणों की जाँच करायी गयी, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि उक्त भूमि पर पक्के मकान का निर्माण पाँच-दस वर्ष पूर्व किया गया था। आवेदक द्वारा प्रश्नगत मकान में विद्युत संयोग आदि होने के दावे किये गये हैं, किन्तु ऐसे कोई साक्ष्य उनके स्तर से किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये। स्पष्टतः Schedule Area Regulation-1969 लागू होने के तिथि के काफी वर्षों के बाद यह निर्माण किये गये हैं। विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा भूमि के हस्तांतरण को अवैध मानते हुये उसे धारा-46 का स्पष्ट उल्लंघन घोषित किया किन्तु आवेदकों को धारा-71(A) द्वितीयक परन्तुक के तहत लाभ देते हुये मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया गया। धारा 71(A) के द्वितीय परन्तुक का उपयोग कुछ विशिष्ट मामलों में ही किया जा सकता है; किन्तु विनियमन पदाधिकारी मात्र गैर-आदिवासी दखलकारों के दावों के आधार पर इन प्रावधानों के तहत उन्हें लाभान्वित किया गया। स्पष्टतः निम्न न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर एवं उक्त निर्माण के संबंध में उचित जाँच किये बगैर आदेश पारित किया गया था। उपायुक्त न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट निष्कर्ष अंकित किया गया है कि प्रश्नगत मुआवजा भुगतान का आदेश मिलीभगत एवं धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है तथा इसी आधार पर उनके द्वारा उक्त आदेश को रद्द करते हुये आदिवासी रैयत भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया है। आवेदक के आवेदन में ऐसा कोई नया तथ्य नहीं है, जिससे कि उनके इस भूमि के क्रय एवं दखल को मान्यता दी जा सके। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। जहाँ तक आवेदक द्वारा मुआवजा भुगतान का प्रश्न है, वे उक्त राशि के वसूली हेतु सक्षम न्यायालय के माध्यम से कार्रवाई कर सकते हैं।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p><i>W. J. J. J.</i><br/>आयुक्त 1/7/11/2</p> <p><i>W. J. J. J.</i><br/>आयुक्त 1/7/11/2</p> |   |